स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण सेवा समिति
2. संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट धानूपुर (हमीद धाम), तहसील जखनियाँ, जनपद गाजीपुर, उ0 प्र0।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे –

(1) शैक्षणिक विकास के लिए नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर-हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालय, स्नातक-स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं समाज को प्रशिक्षित शिक्षक देने के लिए बी.टी.सी., बी.एड., पैरा मेडिकल एवं फार्मेसी आदि पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।

(2) बेरोजगार युवकों हेतु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

(3) गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु योजनायें बनाकर उसे क्रियान्वित करना।

(5) संस्था के कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण, कपार्ट, नाबार्ड, अवार्ड, सूडा, डूडा, सिप्सा, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, डी0आर0डी0ए0, प्रदूषण नियंत्रण एवं अन्य सभी योजनाओं का संचालन करने में सहयोग देना।

(6) वृद्धाओं एवं विधवाओं के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनायें तैयार कर उसे क्रियान्वित करना तथा वृद्धा आश्रम व विधवा आश्रम की व्यवस्था करना।

प्रबन्धक/सचिव
सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण सेवा समिति
धानूपुर, गाजीपुर

A.K. Singh

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :–

संस्था के वित्तीय वर्ष के अंत में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय–व्यय निरीक्षक (आडिटर) द्वारा संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) करायी जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :–

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/सचिव पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख : संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे :–

1– कार्यवाही रजिस्टर
2– सदस्यता रजिस्टर
3– स्टाक रजिस्टर
4– कैश बुक आदि।

15. संस्था का विघटन : संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रबन्धक/सचिव
सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण समिति
धामूपुर, गाजीपुर

आशा सिंह

(7) जनसंख्या वृद्धि एवं एड्स बचाव के लिए जन समुदाय को समुचित जानकारी देना और प्रचार–प्रसार करना और निःशुल्क संसाधन उपलब्ध करना।

(8) प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना एवं हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करना।

(9) पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करवाना तथा वृक्षों का रख–रखाव करना।

(10) दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार कर उसे क्रियान्वित करना।

(11) विकलांगों के लिए विकलांग विद्यालय, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करना तथा उसके पुनर्वास के लिए कृत्रिम अंगों एवं उपकरणों का निःशुल्क उपलब्ध करना।

(12) बालक–बालिकाओं, युवक–युवतियों के विकास, उत्थान व स्वावलम्बी हेतु कम्प्यूटर, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कताई एवं पेन्टिंग, टाइपिंग, आशुलिपि आदि की शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(13) तकनीकी तथा प्राविधिक शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसे संचालित करना।

(14) खाद्य संस्करण एवं गृह प्रबंधन हेतु बालिकाओं एवं महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना।

(15) जन समुदाय के स्वास्थ्य सुधार हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना, शिविर लगाना, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाना तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना।

प्रबन्धक/सचिव
सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण सेवा समिति
धामूपुर, गाजीपुर

आभा सिंह
शोभनाथ सिंह
A. K. Singh

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता, पद व व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है :–

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री अमरेश दत्त दूबे पुत्र श्री आदित्य नारायण दूबे	ग्राम–खालिसपुर हरी, पोस्ट–नसिकपुरा, गाजीपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री कुशाग्र सिंह पुत्र डा0 कृष्ण प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	उपाध्यक्ष	"
3	श्री डॉ0 कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र स्व0 भोला सिंह	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	प्रबन्धक/सचिव	"
4	श्रीमती आभा सिंह पत्नी डॉ0 कृष्ण प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	कोषाध्यक्ष	"
5	श्री मूलचन्द यादव पुत्र स्व0 जीऊत यादव	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	सदस्य	"
6	श्री डॉ0 अजय कुमार पुत्र श्री जमादार सिंह	दलिसिया, मऊ	सदस्य	"
7	श्री शेषनाथ सिंह पुत्र स्व0 रमाशंकर सिंह	ग्राम व पोस्ट– बिजौरा, जिला–गाजीपुर	सदस्य	"
8	श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र स्व0 गणेश प्रसाद गुप्ता	सहादतपुरा, मऊ	सदस्य	"
9	श्री आनन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0 प्रेम कुमार सिंह	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	सदस्य	"

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता समिति को उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं :–

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	श्री अमरेश दत्त दूबे पुत्र श्री आदित्य नारायण दूबे	ग्राम–खालिसपुर हरी, पोस्ट–नसिकपुरा, गाजीपुर	[signature]
2	श्री कुशाग्र सिंह पुत्र डा0 कृष्ण प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	[signature]
3	श्री डॉ0 कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र स्व0 भोला सिंह	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	[signature]
4	श्रीमती आभा सिंह पत्नी डॉ0 कृष्ण प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	आभा सिंह
5	श्री मूलचन्द यादव पुत्र स्व0 जीऊत यादव	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	मूलचन्द यादव
6	श्री डॉ0 अजय कुमार पुत्र श्री जमादार सिंह	दलिसिया, मऊ	[signature]
7	श्री शेषनाथ सिंह पुत्र स्व0 रमाशंकर सिंह	ग्राम व पोस्ट– बिजौरा, जिला–गाजीपुर	शेषनाथ सिंह
8	श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र स्व0 गणेश प्रसाद गुप्ता	सहादतपुरा, मऊ	[signature]
9	श्री आनन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0 प्रेम कुमार सिंह	ग्राम व पोस्ट–धामूपुर (हमीद धाम), जिला–गाजीपुर	A. K. Singh

सत्य – प्रतिलिपि

K. Singh
प्रबन्धक/सचिव
सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण सेवा समिति
धामूपुर, गाजीपुर

दिनांक–

[signature]

नियमावली

1\. संस्था का नाम : सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण सेवा समिति

2\. संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट धामूपुर (हमीद धाम), तहसील जखनियाँ, जनपद गाजीपुर, उ० प्र०।

3\. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4\. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :- संस्था की सदस्यता निम्नवत् होगी -

1- आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 1001/- रू० नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

2- सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 101/- रू० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगें वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।

3- संरक्षक सदस्य : वे समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था के हित में तन, मन और धन से पूर्णरूपेण सहयोग प्रदान करेंगें वे संस्था के प्रबंधसमिति के 2/3 बहुमत से संरक्षक सदस्य मनोनीत कर लिए जायेंगें।

5- सदस्यता की समाप्ति : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दीवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग-पत्र प्राप्त होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

6- संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होंगे :-

अ- साधारण सभा।

ब- प्रबन्धकारिणी सभा।

7- साधारण सभा :

(अ) गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं० 4 के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

प्रबन्धक/सचिव
सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण सेवा समिति
धामूपुर, गाजीपुर

(ब) बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को यू०पी०सी० या सोसाइटी रजिस्टर पर लिखित रूप से दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति : साधारण सभा की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(य) संस्था का वार्षिक अधिवेशन : संस्था का वार्षिक अधिवेशन 26 जनवरी के अवसर पर संस्था के कार्यालय पर हुआ करेगी।

(र) साधारण सभा के कर्तव्य :

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिए भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।
2. संस्था की स्थापना नीति, उसके कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन के लिए स्वीकृति प्रदान करना।

8– प्रबन्धकारिणी समिति –

(अ) गठन : प्रबन्ध समिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा 5 प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे।

(ब) बैठकें : प्रबन्ध समिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

आभा सिंह

K.P. Singh
प्रबन्धक/सचिव
सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण सेवा समिति
धामूपुर, गाजीपुर

(द) गणपूर्ति : प्रबंध समिति की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन शेष अवधि के लिए कर लिया जायेगा।

(र) प्रबन्धसमिति के कर्त्तव्य व अधिकार :

1. संस्था के वजट पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिए दान, अनुदान चन्दे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्कापित करना।
5. संस्था के लिए चल अचल सम्पति को प्राप्त करना।
6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

(ल) कार्यकाल : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष :

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मतदान होने पर अपने एक अतिरिक्त निर्णायक मत का प्रयोग करना।
3. बैठक करने के लिये प्रबन्धक/सचिव के राय से दिनांकों का अनुमोदन करना ।
4. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

प्रबन्धक/सचिव
सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण सेवा समिति
धामूपुर, गाजीपुर

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उनके सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

प्रबन्धक/सचिव :

1. संस्था के लिए दान, अनुदान, चन्दे आदि प्राप्त करना तथा उसके लिए यथाविधि रसीदें देना।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य व विशेष बैठक बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
3. संस्था से संबंधित कागजात एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों के नियुक्ति वेतन, वेतन वृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा निलम्बन व निष्कासन करना।
6. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
7. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
8. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

कोषाध्यक्ष :

1. संस्था के आय-व्यय का हिसाब किताब तैयार करना।
2. संस्था के आय-व्यय के वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना।
3. प्रबन्धक/सचिव के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

10. संस्था के नियमों तथा विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

K.P.Singh
प्रबन्धक/सचिव
सागर सिंह मेमोरियल शिक्षण सेवा समिति
धामूपुर, गाजीपुर

11. संस्था का कोष : किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

आशा सिंह

KPS